भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1153

जिसका उत्तर, 25 नवम्बर, 2019/4 अग्रहायण, 1941 (शक) को दिया गया

शिक्षा ऋणों हेतु राजसहायता योजना

1153. श्री एस॰ वेंकटेशनः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सामान्य अ॰पि॰व॰, अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ (महिला) छात्रों के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज राजसहायता की केंद्र सरकार प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत सामान्य, अ॰पि॰व॰, अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ (महिला) छात्रों को कितनी धनराशि वितरित की गई है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क): शिक्षा ऋणों पर ब्याज सहायता योजना का विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र ब्याज सहायता (सीएसआईएस) योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को भारत में अध्ययन के लिए 01 अप्रैल, 2009 को या इसके पश्चात स्वीकृत शिक्षा ऋण के संबंध में अधिस्थगन अवधि के दौरान पूर्ण ब्याज सहायता उपलब्ध है।

(ii) पढ़ो परदेश योजना (वर्ष 2013-14 से प्रभावी) का संचालन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को विदेशों में अध्ययन के लिए ब्याज सहायता प्रदान करना है।

(iii) अन्य पिछड़े वर्गों को विदेशों में अध्ययन के लिए शिक्षा ऋण के संबंध में डॉ. अंबेडकर केन्द्रीय क्षेत्र ब्याज सहायता योजना (वर्ष 2014-15 से प्रभावी) का संचालन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जाता है। योजना के अंतर्गत अधिस्थगन अवधि के दौरान छात्रों के द्वारा देय ब्याज का वहन सरकार द्वारा किया जाता है।

(ख): वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत केनरा बैंक, जो इन योजनाओं के अंतर्गत संवितरण हेतु नोडल बैंक है, द्वारा सामान्य, अ॰पि॰व॰, अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ (महिला) छात्रों को संवितरित राशि का विवरण **अनुबंध** दिया गया है।

*****

अनुबंध

1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की सीएसआईएस योजना:

वित्तीय वर्ष	निपटाए गए/संवितरित सब्सिडी की राशि				(करोड़ रुपए में)		
	सामान्य	ओबीस	एसी कुल	एससी महिलाएं	एसटी कुल	एसटी महिलाएं	कुल
2015-16	713.18	455.96	378.92	128.07	36.13	11.85	1584.19
2016-17	845.42	554.3	110.83	38.01	32.96	10.98	1543.51
2017-18	901.31	597.01	72.47	23.99	17.04	5.67	1587.83
2018-19	925.76	617.17	14.61	5.11	3.01	1.02	1560.55
2019-20	517.57	356.45	27.64	9.95	5.93	2.08	907.59
कुल योग	**3903.23**	**2580.90**	**604.47**	**205.14**	**95.07**	**31.60**	**7183.67**

2. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अन्य पिछड़े वर्गों को विदेशों में अध्ययन के लिए शिक्षा ऋण के संबंध में डॉ. अंबेडकर केन्द्रीय क्षेत्र ब्याज सहायता योजना

निपटाए गए/संवितरित सब्सिडी की राशि					लाख रुपए में
वित्तीय वर्ष	ईबीसी (आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग)		ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग)		कुल (ओबीसी +ईबीसी)
	महिलाएं	कुल	महिलाएं	कुल	
2015-16	3.99	18.33	8.70	42.16	60.49
2016-17	36.99	114.63	83.62	286.14	400.77
2017-18	156.98	781.10	213.56	1214.23	1995.33
2018-19	77.42	302.20	128.10	623.50	925.70
2019-20	112.59	448.84	256.09	1119.45	1568.29
कुल योग	**387.98**	**1665.10**	**690.08**	**3285.48**	**4950.58**

3. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की पढ़ो परदेश योजना

वित्तीय वर्ष	निपटाए गए/संवितरित सब्सिडी की राशि					लाख रुपए में	
	सामान्य	ओबीस	एसी कुल	एससी महिलाएं	एसटी कुल	एसटी महिलाएं	कुल
2015-16	289.71	108.69	10.82	6.41	2.18	1.33	411.40
2016-17	256.66	131.18	6.49	2.50	5.67	2.90	400.00
2017-18	523.23	243.84	19.84	4.50	13.60	6.74	800.51
2018-19	3293.47	1188.74	77.84	25.55	23.35	10.71	4583.40
2019-20	989.62	430.80	14.44	6.77	4.16	2.32	1439.01
कुल योग	**5352.69**	**2103.25**	**129.44**	**45.72**	**48.95**	**24.00**	**7634.33**

स्रोत: केनरा बैंक